

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 18/2019



- 1 जयपाल उम्र 71 वर्ष पुत्र स्व. चिमनाराम जाति जाट निवासी काली पहाड़ी बास तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)
- 2 श्रीमती श्यामा देवी उम्र 75 वर्ष पुत्री स्व. चिमनाराम पत्नी स्व. चिरंजीलाल जाति जाट हाल निवासी इस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)
- 3 श्रीमती सन्तरा देवी पुत्री स्व. चिमनाराम पत्नी स्व. रामचन्द्र जाति जाट हाल निवासी इन्द्रपुरा तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)

अपीलांत

बनाम

- 1 राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर झुन्झुनू (राज.)
- 2 राजस्थान सरकार जरिए भूमि धारक तहसीलदार तहसील झुन्झुनू।
- 3 सतीश कुमार उम्र 35 वर्ष दत्तक पुत्र स्व. अमरसिंह जाति जाट निवासी काली पहाड़ी बास तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)

रेस्पोंडेंट

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2015
द्वारा उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू बउनवानी प्रकरण
संख्या 260/2008 शीर्षक चिमनाराम बनाम राज.सरकार
दावा बाबत घोषणार्थ व रिकार्ड दुरुस्ती

उपस्थिति :

1. श्री शीशराम सैनी, अधिवक्ता अपीलांत
2. श्री राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)



—निर्णय—

दिनांक:- 6.6.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 260/2008 में पारित निर्णय दिनांक 22.05.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने घोषणा व रिकार्ड दुरुस्ती का वाद प्रस्तुत कर ग्राम काली पहाड़ी की भूमि खसरा नम्बर 350, 361 के संदर्भ में अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर वादी अपीलांट की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि काली पहाड़ी की सरहद में भूमि पुराना खसरा नम्बर 115 जिसके हाल खसरा नम्बर 359 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 361 रकबा 0.40 हैक्टेयर कुल रकबा 0.43 हैक्टेयर स्थित है, जिसका विवरण वादीगण/अपीलान्टस ने अपने वाद पत्र में किया है कि वादीगण/अपीलान्टस इस भूमि में सम्वत् 2007 से काबिज है और सम्वत् 2007 से लेकर आज तक लगातार वादीगण के कब्जे काशत का उक्त इन्द्राजात राजस्व रिकार्ड से स्पष्ट हो रहा है कि उक्त भूमि रकबा 0.43 हैक्टेयर के चारों तरफ से चार दिवारी बनाकर पानी का ट्युबवेल बना हुआ है। इस भूमि को वर्तमान में अपीलान्ट नम्बर 1 जयपाल सिंह काशत कर रहा है। इसी भूमि में रहवास के लिए मकान बनाकर रह रहा है। उक्त सभी तथ्यों को प्रकरण के निर्धारण के समय विचारण न्यायालय ने नजर अंदाज कर वादीगण को मात्र 0.17 हैक्टेयर का खातेदार घोषित किया है जबकि मौके पर 0.43 हैक्टेयर भूमि पर वादीगण/अपीलान्टस का कब्जा है। विचारण न्यायालय ने तहसीलदार झुन्झुनू के जबाब दावे के आधार पर 0.17 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया है इसके विपरित पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक

मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)



05.08.2008 को तहसीलदार झुन्झुनू के आदेश क्रमांक राजस्व/08/2880 दिनांक 27.07.2008 की पालना में पटवारी हल्का ने दिनांक 05.08.2008 को विवादित अराजियत का मौका देखकर जांच रिपोर्ट तैयार की गई थी। उक्त जांच रिपोर्ट में उक्त खसरा नम्बरान में 361 व 359 में वादीगण का 0.38 हैक्टेयर की भूमि की खातेदारी व कब्जा वादीगण के नाम से करने का निवेदन किया गया था। इस प्रकार तहसीलदार ने उक्त जांच रिपोर्ट को सही मानकर कन्सीडर किया गया था। इसके विपरीत तहसीलदार ने अपने जबाब दावें में 0.17 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी वादीगण के हक में मानता है। तहसीलदार झुन्झुनू ने उक्त विरोधाभासी जबाब के आधार पर विचारण न्यायालय ने तहसीलदार के जबाब पर विश्वास कर वादीगण के हक में मात्र 0.17 हैक्टेयर भूमि के खातेदार घोषित करने का आदेश पारित किया है, जो काबिले दुरुस्त है। पटवारी हल्का ने विवादित भूमि का दिनांक 05.08.2008 को मौका मुआयना किया। उस वक्त ग्रामवासियों के बयानात भी दर्ज किये थे, उनमें से महेश पुत्र हरदयाल, घीसाराम पुत्र पितराम, नत्थुसिंह पुत्र छगन सिंह, भगुन राम पुत्र झण्डुराम, हनुमान पुत्र मुंगाराम जाति जाट निवासीगण बास काली पहाड़ी आदि लोगों के बयानात भी लिये गये थे। उक्त सभी गवाहान ने पटवारी को भूमि खसरा नम्बर 361 व 359 पर वादीगण का कब्जा काश्त होना बताया गया। उक्त समस्त जांच में रिकार्ड को विचारण न्यायालय ने नजर अन्दाज कर वादीगण/अपीलान्टस को मात्र 0.17 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया है जबकि वादीगण को अपने वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात व पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयानात राजस्व रिकॉर्ड आदि से स्पष्ट रूप से उनका मौके पर 0.43 हैक्टेयर पर कब्जा काश्त है। इसके विपरीत प्रतिवादीगण ने अपने जबाब के अलावा न तो कोई साक्ष्य पेश किया है न ही कोई रिकार्ड पेश किया है। इस कारण से प्रतिवादीगण ने अपने समर्थन में वादीगण की तुलना में साक्ष्य के रूप में कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया है, फिर भी प्रतिवादीगण तहसीलदार के मात्र जबाब पर ही विश्वास कर वादीगण को 0.17 हैक्टेयर का खातेदार घोषित किया है जबकि वादीगण 0.43

24
 सू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी
 सीकर (कैम्प झुन्झुन)



हैक्टेयर भूमि की खातेदारी घोषित करवाने के हकदार है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादी 1 व 2 ने जबाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि करते हुए वादी के एवज में खसरा नम्बर 359 रकबा 0.03 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 361 रकबा 0.40 हैक्टेयर में से 0.19 हैक्टेयर भूमि दुरुस्ती करवाने का अधिकारी है। खसरा नम्बर 359 रकबा 0.03 हैक्टेयर पर वादी के मकान है। शेष भूमि खसरा नम्बर 361 रकबा 0.40 हैक्टेयर में से 0.17 हैक्टेयर भूमि दुरुस्त करने पर वादी 0.38 हैक्टेयर भूमि दुरुस्ती का हकदार नहीं होना प्रकट है क्योंकि खसरा नम्बर 507 रकबा 0.57 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का हिस्सा 1/2 है जो 0.29 हैक्टेयर बनता है। तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा प्रस्तुत जबाब नोटिस में प्रार्थी को 0.17 हैक्टेयर भूमि दुरुस्त कराने का अधिकारी होना अंकित किया है। प्रतिवादी ने रिकार्ड दुरुस्त करने पर अपनी सहमति पूर्व जबाब नोटिस के अनुसार व्यक्त की है। मनोनीत कमेटी द्वारा भी तहसीलदार के जबाब नोटिस पर अपनी सहमति व्यक्त की है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से व मनोनीत कमेटी से वाद विमर्श के वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना व दस्तावेजात से वादी का कब्जा 0.17 हैक्टेयर पर होना प्रकट है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वादी अपीलांत का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादी 1 व 2 ने जबाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि करते हुए वादी के एवज में खसरा नम्बर 359 रकबा 0.03 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 361 रकबा 0.40 हैक्टेयर में से 0.19 हैक्टेयर भूमि दुरुस्ती करवाने का अधिकारी है। खसरा नम्बर 359 रकबा 0.03 हैक्टेयर पर वादी के मकान है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)



शेष भूमि खसरा नम्बर 361 रकबा 0.40 हैक्टेयर में से 0.17 हैक्टेयर भूमि दुरुस्त करने पर वादी 0.38 हैक्टेयर भूमि दुरुस्ती का हकदार नहीं होना प्रकट है क्योंकि खसरा नम्बर 507 रकबा 0.57 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का हिस्सा 1/2 है जो 0.29 हैक्टेयर बनता है। तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा प्रस्तुत जबाब नोटिस में प्रार्थी को 0.17 हैक्टेयर भूमि दुरुस्त कराने का अधिकारी होना अंकित किया है। प्रतिवादी ने रिकार्ड दुरुस्त करने पर अपनी सहमति पूर्व जबाब नोटिस के अनुसार व्यक्त की है। मनोनीत कमेटी द्वारा भी तहसीलदार के जबाब नोटिस पर अपनी सहमति व्यक्त की है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से व मनोनीत कमेटी से वाद विमर्श के वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना व दस्तावेजात से वादी का कब्जा 0.17 हैक्टेयर पर होना प्रकट है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वादी अपीलांट का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 6.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(Signature)

(बलदेवाराम धोजक)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं

पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,

सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं

पदेन राजस्व अपील अधिकारी

सीकर (कैम्प झुन्झुनू)